

क्रमांक: आर.एन.सी./2024/ 10620

दिनांक: 07/02/2024

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय/निजी जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल
(राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से संबद्ध)
राजस्थान।

**विषय:- सत्र 2022-23 के जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म
भिजवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2022-23 के जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त परीक्षा में बैठने की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर एनरोलमेंट पश्चात भरे जाने हैं। उक्त परीक्षा के संबंध में संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है:

1. परीक्षा फॉर्म संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर दिनांक 12.02.2024 से 12.03.2024 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।
2. उक्त परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें, कि जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा के योग्य प्रशिक्षणार्थियों के ही परीक्षा फॉर्म भरे जावे।
3. प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल पर Apply Exam Option पर क्लिक करके योग्य प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा आवेदन किया जाना है।
4. संस्था परीक्षा फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि:
 - प्रशिक्षणार्थी ने जी.एन.एम. प्रथम वर्ष की आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित सिलैबस अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
 - किसी भी प्रशिक्षणार्थी का पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण अध्याधीन है तो उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय की प्रति राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को भिजवाकर सूचित करते हुए कार्यवाही करें।
 - यदि किसी संस्था को किसी सत्र में राज्य सरकार द्वारा आयोजित छात्र आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, तो उक्त संस्था उस सत्र के किसी भी प्रशिक्षणार्थी का आवेदन नहीं करें। यदि संस्थान द्वारा आवेदन किया गया तो उक्त संस्था पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा फॉर्म में संस्थान द्वारा Attendance एवं विषय अंकित किया जाने के पश्चात ही निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाए।
6. परीक्षा फॉर्म मय शुल्क जमा होने के पश्चात भरे हुए फॉर्म का प्रिंट लेकर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर निम्न दस्तावेज़ संलग्न कर कार्यालय को दिनांक 15.03.2023 सायं 5:00 बजे तक जमा किया जाना सुनिश्चित करें:
 - 10 की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति
 - 12 की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति
 - जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो।
 - राज्य सरकार/प्राइवेट फेडरेशन द्वारा जारी छात्र आवंटन पत्र।
 - सभी प्रशिक्षणार्थियों के सत्रवार प्रवेश तिथि एवं Attendance की सूची।
7. संस्था द्वारा अगर किसी भी अयोग्य प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाता है तो संबन्धित प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं परीक्षा शुल्क राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के राजपत्र अनुसार नहीं लौटाई जाएगी। एवं संस्था के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परीक्षा फॉर्म उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक कौंसिल कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान कि होगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

(डॉ शशिकान्त शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग काउंसिल
जयपुर